न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 354/23 (धारा 75 भू राज0 अधि0 1956) (RCMS No.2023/379)

उमाकान्त शर्मा पुत्र स्व0 श्री परमानन्द शर्मा जाति ब्राहमण निवासी बार्ड नम्बर 13 गंगापुरसिटी तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. कलावती शर्मा पत्नी श्री हरिकृष्ण शर्मा जाति ब्राहमण निवासी बार्ड नम्बर 13 चूलीगेट के पास मुनीमपाडा गंगापुरसिटी।
2. ओमप्रकाश शर्मा
3. गोविन्दबल्लभ शर्मा
4. बृजबल्लभ शर्मा
5. उमाशंकर शर्मा
6. सत्यनारायण शर्मा

पुत्रान स्व0 श्री हरिकृष्ण शर्मा जाति सभी ब्राहमण निवासी बार्ड नम्बर 13, चूलीगेट के पास मुनीमपाडा गंगापुरसिटी तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर।

7. तहसीलदार गंगापुरसिटी।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश तहसीलदार गंगापुरसिटी मु0नं0 7/2011 प्रार्थना पत्र श्रीमती कलावती शर्मा दिनांक 31.05.2011

उपस्थितिः–

श्री रघुबंसल वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 27.02.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार गंगापुरसिटी के निर्णय दिनांक 31.05.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि "प्रार्थीयान/रैस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 में शिविर कुनकटाकलां पर दिनांक 09.12.2010 को एक प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया कि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 11.08.2004 के मुताबिक श्रीमान (तहसीलदार गंगापुरसिटी) द्वारा दिनांक 11.07.2006 को सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कमाण्ड प्रकरण तैयार कर कलेक्टर मुद्रांक जयपुर वृत्त द्वितीय को भिजवाने के आदेश दिये गये। इसकी पालना में आपके कार्यालय (तहसीलदार गंगापुरसिटी) से दिनांक 03.05.2007 को प्रकरण कलैक्टर मुद्रांक जयपुर को भिजवाया गया। वहां से प्रकरण निर्णित होकर कमी मुद्रां राशि, पंजीयन शुल्क व शास्ती कुल 25000/– रू0 जमा कर उनके कार्यालय के कमांक 1642 दिनांक 13.08.2009 से पूर्ण मुद्रांक कर मूल दस्तावेज वापिस भिजवा दिया गया है।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतः भूमि खसरा नम्बर 635 रकबा 2.66 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 775 रकबा 14 ऐयर कुल 2.80 हैक्टैयर ग्राम कडीगांवडी का नामान्तरकरण प्रार्थीगण/रैस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 6 के नाम खुलवाये जाने के आदेश प्रदान करें। प्रार्थना पत्र के साथ छाया प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र श्री हरिकृष्ण शर्मा, छाया प्रति पारिवारिक समझौता दिनांक 30.06.1989 पेश किये गये। बाद कार्यवाही तहसीलदार गंगापुरसिटी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2011 पारित करते हुये आदेश दिये कि स्व0 श्री हरिकृष्ण शर्मा एवं स्व0 श्री परमानन्द शर्मा के मध्य हुये दिनांक 30.06.1989 के फैमिली सेटिलमेन्ट, जो अब पूर्ण मुद्रांकित हो चुका है, के आधार पर विवादित भूमि खसरा नम्बर 635 रकबा 2.66 हैक्टेयर व 775 रकबा 0.14 हैक्टेयर ग्राम कडीगांवडी का नामान्तरकरण नियमानुसार हरिकृष्ण शर्मा के पक्ष में खोला जाना चाहिऐ। चूंकि हरिकृष्ण शर्मा की मृत्यु हो चुकी है। अतः अब इस भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थीगण/रैस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 , श्रीमती कलावती व उनके पुत्रगण अपने पक्ष में कराने के अधिकारी है। अतः भूमि खसरा नमबर 635 रकबा 2.66 है0 व 775 रकबा 0.14 है0 ग्राम कडीगांवडी का अप्रार्थी/अपीलान्ट उमाकान्त शर्मा के पक्ष में खोला गया विरासत का नामान्तरकण संख्या 300 दिनांक 15.01.2009 खारिज किया जाता है एवं फैमिली सेटिलमेन्ट दिनांक 30.06.1989 के आधार पर इस भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थीगण/रैस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 कलावती शर्मा पत्नी हरिकृष्ण शर्मा, ओमप्रकाश शर्मा, गोविन्द बल्लभ शर्मा, बृजबल्लभ शर्मा, उमाशंकर शर्मा, सत्यनारायण शर्मा पुत्रगण स्व0 श्री हरिकृष्ण शर्मा जाति ब्राहमण निवासी चूलीगेट, मुनीमपाडा गंगापुरसिटी के नाम खोले जाने का आदेश दिया गया। इसी अनुसार नामान्तरकरण संख्या 300 दिनांक 15.01.2009 पर खारिजी का नोट अंकित करने व प्रार्थीगण/रैस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 कलावती शर्मा पत्नी हरिकृष्ण शर्मा, ओमप्रकाश शर्मा, गोविन्द बल्लभ शर्मा, बृजबल्लभ शर्मा, उमाशंकर शर्मा, सत्यनारायण शर्मा पुत्रगण स्व0 श्री हरिकृष्ण शर्मा जाति ब्राहमण निवासी चूलीगेट, मुनीमपाडा गंगापुरसिटी के पक्ष में भूमि खसरा नम्बर 635 रकबा 2.66 है0 व 775 रकबा 0.14 है0 ग्राम कडीगांव के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का कुनकटाकलां को लिखा जाने के आदेश पारित किये गये। तहसीलदार गंगापुरसिटी के इस आदेश दिनांक 31.05.2011 के खिलाफ यह अपील अपीलान्ट उमाकान्त शर्मा के द्वारा अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को वकील रैस्पोडेन्ट के द्वारा आदेशिका दिनांक 21.02.2024 की रोशनी में रैस्पोडेन्टस की ओर से कोई हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर करते हुये आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये गये। वकील अपीलान्ट को सुना गया दौराने सुनवाई वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस पेश की गई जो शामिल फायल की गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए प्रकरण में लिखित बहस पेश करते हुए तर्क दिया कि अपीलाधीन

निर्णय दिनांक 31.05.2011 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण में आराजी खसरा नम्बर 635 (पुराना नम्बर 1089/1395) रकबा 2.66 है0 एवं खसरा नम्बर 775 (पुराना नम्बर 1221) रकबा 0.14 है0 कुल रकबा 2.80 है0 स्थित ग्राम कडीगांवडी तह0 गंगापुरसिटी है। जिसके साविक नम्बर 1221 रकबा 0.14 है0 एवं 1089/1395 रकबा 2.66 है0 का आवंटन अपीलान्ट के पिता स्व0 परमानन्द शर्मा को राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि आवंटन नियम के तहत किया गया तथा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज की गई। परमानन्द का निधन दिनांक 14.10.1991 को होने के पश्चात रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति व शेष रैस्पो0 2 लगायत 6 के पिता स्व0 हरिकिशन जी द्वारा तथाकथित पारिवारिक समझौता दिनांक 30.06.1989 के आधार पर तहसीलदार गंगापुरसिटी कार्यालय में नामान्तरकरण खोले जाने हेतु आवेदन किया जिस पर तहसीसलदार गंगापुरसिटी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 98 दिनांक 10.02.1993 खोला गया, जिसके विरूद्ध तहसीसलदार गंगापुरसिटी द्वारा ए0डी0एम0 गंगापुरसिटी द्वारा धारा 82 एल आर एक्ट के तहत रैफरेंस पेश किया जो कि अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 27.06.1998 को खारिज कर दिया गया। इस ए0डी0एम0 स0मा0 के आदेश दिनांक 27.06.1998 के विरूद्ध धारा 9 भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत तहसीलदार गंगापुरसिटी द्वारा उक्त प्रकरण को राजस्व मण्डल अजमेर में पेश किया गया, जहां से निर्णय दिनांक 11.08.2004 को तहसीलदार गंगापुरसिटी के आदेश दिनांक 16.11.1992 व नामान्तरकरण संख्या 98 दिनांक 10.02.1993 को आराजी कृषि भूमि स्वअर्जित होने व तथाकथित पारिवारिक समझौते के अनरजिस्टर्ड होने के आधार पर निरस्त कर दिया गया तथा उक्त निर्णय में फैमिली सेटिलमेन्ट को काबिले कम्पाउण्ड मानकर प्रकरण को तहसीलदार गंगापुरसिटी को कार्यवाही करने के लिये प्रेषित किया गया। जिस पर तहसीलदार गंगापुरसिटी द्वारा निर्णय करते हुये दिनांक 11.07.2006 को नामान्तरकरण संख्या 98 पर निरस्ती का नोट अंकित कर दिया गया तथा पारिवारिक समझौते को कम्पाउण्ड कर कलक्टर मुद्रांक द्वितीय जयपुर को भेज दिया गया। जिस कारण उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में परमानन्द शर्मा पुत्र लक्ष्मीनारायण शर्मा का नाम अंकित हो गया। तहसीलदार गंगापुरसिटी द्वारा कम्पाउण्ड प्रकरण बनाकर भिजवाये जाने पर कलक्टर मुद्रांक द्वितीय जयपुर द्वारा इसे स्वीकार कर अनरजिस्टर्ड पारिवारिक समझौते पर मुद्रांक राशि निर्धारित कर दी गई और प्रकरण पुनः तहसीलदार गंगापुरसिटी को अनरजिस्टर्ड पारिवारिक समझौते के रूप में भिजवाया गया। इसी प्रकार तथाकथित पारिवारिक समझौता आज भी अनरजिस्टर्ड है। परमानन्द शर्मा का नाम पुनः दर्ज किये जाने एवं उनके निधन होने के बाद उनके पुत्र अपीलान्ट उमाकान्त शर्मा ने दिनांक 30.10.2008 को विरासतन नामान्तरकरण खोले जाने का प्रार्थना पत्र तहसील कार्यालय गंगापुरसिटी के समक्ष पेश किया, जिस पर दिनांक 15.01.2009 को अपीलान्ट के हक में नामान्तरकरण संख्या 300 दर्ज किया गया। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 22.01.2009 को प्रार्थना पत्र पेश कर पूर्व इन्द्राज यथावत रखे

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जाने का निवेदन किया गया, जिस पर उपजिला कलक्टर द्वारा आदेश दिया गया कि इससे संबधित प्रकरण श्रीमान कलैक्टर मुद्रांक द्वितीय वृत्त जयपुर के यहां विचाराधीन होना लिखा गया। इसी दौरान श्री हरिकिशन शर्मा का निधन होने के कारण रैस्पो0 द्वारा दिनांक 09.12.2010 को एक फोटो कॉपी फैमिली सेटिलमेन्ट दिनांक 30.06.1989 के साथ राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 11.08.2004 की पालना कर मुद्रांक राशि जमा करा दी गई और राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 11.08.2004 की पालना किये जाने के कारण तथा हरिकिशन का निधन होने के कारण उनके वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट उमाकान्त शर्मा द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि फैमिली सैटिलमेन्ट नल एण्ड वॉईड घोषित का दावा सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। इस कारण हरिकिशन के वारिसान के पक्ष में नामान्तरकरण न खोला जाये तथा इस संबध में सिविल न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09.11.2011 का उनवानी उमाकान्त शर्मा बना कलावती टी0आई0 का प्रार्थना पत्र अवलोकन हेतु पेश किया। यहां पर यह न्यायोचित है कि उक्त तथाकथित फैमिली सेटिलमेन्ट दिनांक 30.6.1989 को माननीय ए0सी0जे0एम0 कोर्ट गंगापुरसिटी ने मुकदमा संख्या 22/2008 उनवानी उमाकान्त बनाम हरिकृष्ण में किये गये निर्णय दिनांक 09.01.2017 में साक्ष्य में ग्राहय नहीं (not Admitted in evidence) माना है। अपीलान्ट ने इस निर्णय की प्रमाणित प्रति सी0पी0सी0 प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल्स 27 दिनांक 24.07.18 के साथ इस न्यायालय में पेश की है, जैसा इस अपील में आदेशिका दिनांक 22.01.2019 से स्पष्ट है । इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर में उक्त निर्णय के विरूद्ध रैस्पोडेन्ट द्वारा की गई अपील को खारिज करते हुये दिनांक 17.07.2018 सिविल रिट पिटी0 संख्या 1322/2017 उनवानी हरिकृष्ण बनाम उमाकान्त नगर पालिका में भी तथाकथित पारिवारिक समझौते दिनांक 30.06.1989 को साक्ष्य में ग्राह नहीं माना है। इसी संबध में माननीय राज0 उच्च न्यायालय पीठ जयपुर ने एक अन्य सिविल रिट पिटी0 संख्या 15291/2019 उनवानी हरिकृष्ण बनाम उमाकान्त नगर पालिका को निर्णित करते हुये अपने आदेश दिनांक 24.02.2021 में भी पारिवारिक समझौते दिनांक 30.06.1989 को कोलेटरल परपज के लिये भी साक्ष्य में ग्राह नहीं माना है। उक्त दोनों आदेशों की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी पी सी दिनांक 23.12.2022 के साथ इसी अपील में पेश किये जा चुके है। जैसा कि इस अपील की आदेशिका दिनांक 19.04.2022 से स्पष्ट है, जिन्हें रिकार्ड पर लिया जा चुका है। फिर भी अपीलान्ट के हक में खोला गया नामान्तरकरण संख्या 300 दिनांक 15.01.2009 को खारिज करते हुये दिनांक 31.05.2011 को निर्णय सुना दिया गया जो काबिले मंसूखी है। तहत अदालत ने मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलान्ट के हक में विरासतन के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण को निरस्त कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश'' निर्णय न्यायालय भरतलाल मीणा'' शब्द को किया गया है, जबकि नामान्तरकरण से संबधित समस्त कार्यवाही तहसीलदार की पदीय

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

हैसियत से व राजस्व अधिकारी द्वारा की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण कार्यवाही व्यक्तिगत नाम से की है, जो अवैधानिक होने के कारण निरस्त योगय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में रैफरेंस के आदेश दिनांक 11.08.2004 को पूर्ण रूप से अनदेखा करते हुये आदेश पारित किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 11.08.2004 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि फैमिली सैटिलमेन्ट रिकार्डेड सहखातेदारी की आपसी सहमति से सैटिल किया जा सकता है, जो पुश्तैनी कृषि भूमि के क्रम में ही संभव है। वर्तमान प्रकरण में अपीलान्ट के पिता परमानन्द के हक में विवादित भूमि जरिये आवंटन खातेदारी में प्राप्त हुई है। इस कारण उक्त स्वअर्जित आवंटित भूमि पैतृक न होकर एकल खातेदारी की है जिस पर फैमिली सैटिलमेन्ट संभव नहीं है, जिसका उल्लेख राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय में किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का उक्त निर्णय इस अपील के साथ पेश किया जा चुका है। फैमिली सेटिलमेन्ट को नल एण्ड वॉइड घोषित किये जाने के लिये सिविल न्यायाधीश गंगापुरसिटी में मुकदमा संख्या 152/2009 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपपंजीयक व लैण्ड हौल्डर गंगापुरसिटी भी पक्षकार है। जिसकी नकल अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के यहां प्रस्तुत की गई है जिसकी अनदेखी करते हुये तहसीलदार गंगापुरसिटी द्वारा विधि विरूद्ध आदेश पारित किय गये। तथाकथित फैमिली सैटिलमेन्ट दिनांक 30.06.1989 को माननीय ए0सी0जे0एम0 कोर्ट गंगापुरसिटी ने मुकदमा संख्या 22/2008 उनवानी उमाकान्त बनाम हरिकृष्ण में अपने निर्णय दिनांक 09.01.2017 में साक्ष्य में ग्राहय योग्य नहीं माना है। अपीलान्ट ने इस निर्णय की प्रमाणित प्रति सी पी सी प्रार्थना पत्र दिनांक 24.07.2018 आदेश 41 नियम 27 के तहत इस न्यायालय में पेश की है जैसा इस अपील में आदेशिका दिनांक 22.01.2019 से स्पष्ट है। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर ने उक्त निर्णय के विरूद्ध रैस्पो0 द्वारा की गई अपील को खारिज करते हुये दिनांक 17.07.2018 सिविल रिट पिटी0 संख्या 1322/2017 उनवानी हरिकृष्ण बनाम उमाकान्त, नगर पालिका मेंस भी तथाकथित पारिवारिक समझौते दिनांक 30.06.1989 को साक्ष्य में ग्राहय नहीं माना है। इसी संबध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर ने एक अन्य सिविल रिट पिटी0 नम्बर 15291/2019 उनवानी हरिकृष्ण बनाम उमाकान्त, नगर पालिका को निर्णित करते हुये अपने निर्णय दिनांक 24.02.2021 में भी पारिवारिक समझौते दिनांक 30.6.1989 को कोलैटरल परपज के लिये भी ग्राहय नहीं माना है। उक्त दोनों आदेशों की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र दिनांक 23.02.2022 आदेश 41 नियम 27 सी पी सी के साथ इसी अपील में पेश किये जा चुके है। जैसा कि इस अपील की आदेशिका दिनांक 19.04.2022 से स्पष्ट है, जिन्हें रिकार्ड पर लिया जा चुका है। अतः माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर के उक्त दोनों निर्णयों के आधार पर भी पारिवारिक समझौते दिनांक 30.06.1989 के साक्ष्य में ग्राहय योग्य नहीं होने के कारण तहसीलदार गंगापुरसिटी का आदेश दिनांक 31.05.2011 निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण की समस्त कार्यवाही

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

मनमाने तरीके से रैस्पोडेन्ट के साथ मिल कर फैलाफाईड तरीके से की गई है। क्यों कि माननीय तहसीलदार द्वारा तथाकथित फर्जी पारिवारिक समझौते के संबध में अपीलान्ट को नहीं दी गई, जिसकी अपील संख्या 1985/2009 उनवानी उमाकान्त बनाम तहसीलदार गंगापुरसिटी मुख्य सूचना आयुक्त जयपुर के यहां की गई, जिस पर दिनांक 19.05.2010 को अपीलान्ट की अपील मंजूर कर तहसीलदार गंगापुरसिटी भरतलाल मीना पर 1000/– रूपये अर्थदण्ड किया गया, जिसके कारण तहसीलदार गंगापुरसिटी द्वारा अपीलान्ट से रजिंश रखते हुये मनमाने तौर पर आदेश पारित किया गया है इसलिऐ अपीलाधीन आदेश काबिले मंसूखी है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पर दिनांक भी हाथ से दर्ज की गई है, जबकि सारा निर्णय कम्प्यूटर से टाईप किया गया तथा तारीख निर्णय पर कोई तारीख अंकित नहीं की गई है। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार गंगापुरसिटी के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र उपजिला कलक्टर के यहां पेश किया गया, जिसकी सूचना तहसीलदार जी को दी गई, जिसे पढकर तहसीलदार जी द्वारा लेने से इन्कार कर दिया गया तथा मनमाने तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। नामान्तरकरण संख्या 300 दिनांक 15.01.2009 को विरासत के आधार पर अपीलान्ट उमाकान्त शर्मा के नाम पर खोला गया। जिसको निरस्त करने के लिये कोई प्रार्थना पत्र न तो रैस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किा गया और ना ही अधीनस्थ न्यायालय को उक्त नामान्तरकरण संख्या 300 दिनांक 15.01.2009 को निरस्त किये जाने का वैधानिक अधिकार है। एक बार नामान्तरकरण खोले जाने के पश्चात उसको सक्षम अधिकारी द्वारा उचित कार्यवाही कर निरस्त किया जा सकता है। इस प्रकार विद्धान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का दुरूपयोग करते हुये अपीलान्ट के पक्ष में विरासत के नामान्तरकरण संख्या 300 दिनांक 15.01.2009 को अवैधानिक तरीके से दिनांक 31.05.2011 को आदेश पारित कर अपीलान्ट उमाकान्त शर्मा के पक्ष में खोला गया नामान्तरकरण खारिज करते हुये रैस्पोडेन्ट के पक्ष में नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश पारित किया, जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.05.2011 निरस्त किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी का नामान्तकरण अपीलार्थी के पक्ष में तस्दीक करने का आदेश दिया जावे।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पारित निर्णय दिनांक 31.05.2011 के विरूद्ध अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील में फैमिली सैटलमेन्ट के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी है कि तथाकथित पारिवारिक समझौता अनरजिस्टर्ड है। विवादित भूमि पैतृक भूमि नहीं होकर खातेदार स्वर्गीय श्री परमानन्द को कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के प्रावधान के तहत आवंटित की गई भूमि है। जिसके संबंध में फैमिली सैटलमेंट किया जाना नियमानुकूल नहीं था।

अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर नामान्तकरण खोले जाने का आदेश उचित नहीं होना मानकर अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस प्रस्तुत लिखित बहस में भी इसी बिन्दु पर जोर दिया है कि पारिवारिक समझौता अनरजिस्टर्ड होने के बाबजूद भी इसके आधार पर नामान्तकरण खोले जाने का आदेश पारित किया है। इसके अलावा फैमिली सैटलमेन्ट दिनांक 30.06.1989 के दस्तावेज के संबंध में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी की ओर से प्रकरण संख्या 22/2008 उनवानी उमाकान्त बनाम हरिकृष्ण में निर्णय दिनांक 09.01.2017 में उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राहय नहीं होने इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर की ओर से सिविल रिट पीटिशन संख्या 1322/2017 हरिकृष्ण शर्मा बनाम उमाकान्त शर्मा में पारित निर्णय दिनांक 17.07.2018 व एस.बी.सिविल रिट पीटिशन नंबर 15291/2019 हरिकृष्ण शर्मा बनाम उमाकान्त शर्मा में पारित आदेश दिनांक 24.02.2021 के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2011 को उचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.05.2011 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को इन निर्देशों के साथ पुनः प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए सिविल न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से फैमिली सैटलमेंट के दस्तावेज दिनांक 30.06.1989 के संबंध में पारित किये गये विभिन्न आदेशों को मध्यनजर रखते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर